BULANDSHAHR POLICE

दिनांक- 18 अप्रैल, 2024 **थाना पहासू**

15 पेटी अवैध देशी शराब (कीमत लगभग 52 हजार 500 रुपये) सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 17/18-04-2024 की रात्रि को थाना पहासू पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर नगलिया टक्कर तिराहे के पास खुर्जा रोड पर बन्द पड़े पेट्रोल पम्प के ऑफिस के पीछे से 01 अभियुक्त को 15 पेटी(कुल 750 पव्वै) अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना पहासू पर मुअसं- 99/24 धारा 60/63 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. हरीशंकर पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम नगलिया टक्कर थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- 15 पेटी(कुल 750 पव्वै) अवैध देशी शराब (हरियाणा मार्का)

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि बरामद शराब को वह हरियाण से लेकर आया था तथा आस पास के क्षेत्र मे उच्चे दामो मे बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहता था।

गिरफ्तार अभियुक्त हरीशंकर का आपराधिक इतिहास-

1- मुअस-258/22 धारा 379/411 भादवि थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
2- मुअस-259/22 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
3- मुअस-99/24 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. श्री अशोक कुमार थाना प्रभारी निरीक्षक पहासू
2. उ0नि0 जयवीर सिंह
3. का0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 कृष्णकान्त

मीडिया सेल बुलंदशहर